राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3054/2024

अशोक कुमार पाटोदी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.10.2024

आदेश की दिनांक : 08.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी संगणक के पद से कार्यालय खनि अभियंता, भीलवाडा से सेवानिवृत्त हुआ है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति संगणक के पद पर दिनांक 11.02.1987 को हुई थी और उसे रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध सांख्यिकी निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया, परंतु उसने तत्समय उक्त पदोन्नति का परित्याग कर दिया और इस प्रकार अपीलार्थी की पदोन्नति देय थी, परंतु अधिवार्षिक आयु प्राप्त करने पर अपीलार्थी दिनांक 30.06.2021 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। 18 एवं 27 वर्ष की

सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया और यह कथन किया गया कि अपीलार्थी ने अपनी पदोन्नति का परित्याग किया है और अचानक सेवानिवृत्ति पश्चात् अपीलार्थी को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध सांख्यिकी सहायक के पद पर दिनांक 01.04.2019 से पदोन्नत कर दिया गया। परंतु उक्त पदोन्नति अपीलार्थी को काल्पनिक आधार पर की गई। जबकि अपीलार्थी चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ मय शेष राशि एवं ब्याज सहित प्रदान किया जावे और सेवानिवृत्ति पश्चात् अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा समस्त पारिणामिक लाभ आदि प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन संगणक के पद से कार्यालय खनि अभियंता, भीलवाडा से सेवानिवृत्त हुआ है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश

(Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य